

समक्ष माननीय मोप्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (मोप्र०)

निगरानी 722-III-15



Rs. 70/-

साधुलाल कोल पिता रघुनाथ कोल निवासी— ग्राम रहना, वृत्त-पहाड़ी,
तहसील—हनुमना, जिला—रीवा मोप्र०

निगरानीकर्ता

बनाम्

श्रीनिवास पाण्डेय पिता इन्द्रलाल पाण्डेय निवासी— ग्राम रहना, वृत्त-पहाड़ी,
तहसील—हनुमना, जिला—रीवा मोप्र०

उत्तरवादीगण

श्री. रमाकार्णन पटेल एड
द्वारा आज दिनांक. 13-3-15 के
प्रस्तुत किया गया।

मेरी
संकिट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब
तहसीलदार वृत्त पहाड़ी, तहसील—हनुमना
जिला रीवा के रामप्र०क्र० 14/ए-19
(1)/95-96 में पारित आदेश दिनांक
30/01/96।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भू-राजस्व
संहिता

क्रमांक 4804
रजिस्टर्ड पॉस्ट ऑफि आज
दिनांक 13-3-15
राजस्व भू-भवा वा. एड. ग्वालियर
मान्यवर,

निगरानी का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है :—

1-

यह कि मौजा रहना, वृत्त-पहाड़ी, तहसील हनुमना रीवा स्थित आराजी
नं०- 250/2 रकवा 11.84 ए० यानी 4.796 हेठो शासन मोप्र० की भूमि थी
जो उक्त ग्राम में निवास करने वाले हरिजन आदिवासियों के लिए आवास
योजना हेतु आरक्षित थी। जिसमें कई लोगों को भूमि आबंटित भी की जा
चुकी है तथा हितग्राही उक्त आबंटित भूमि पर आवास बनाकर निवासरत
हैं। इसी भूमि का आबंटन आवेदक अपने नाम आवास बनाने हेतु चाहता था

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर
 आदेश पृष्ठ
 भाग - अ

(पंच)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 722-तीन / 2015

साधू लाल कोल

विरुद्ध

श्री निवास पाण्डेय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-6-2018	<p>आवेदक अभिभाषक श्री रमाकांत पटेल ने उपस्थित होकर प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया। आवेदन अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p>11/2016/18 (आर० के मिश्रा) सदस्य</p> 	